"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त 2008—भाद्र 6, शक 1930

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

अधिसूचना

क्रमांक/474/एफ-2 (2)/48/सं. का./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है. यह संशोधन 09 मई, 2008 से प्रभावशील माना जायेगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

   "परन्तु किसी भूतपूर्व सदस्य द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-क (2) के अधीन रेल या वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, एक वित्तीय वर्ष में रुपये 1,00,000.00 (रुपये एक लाख) से अधिक नहीं होगा."

2. नियम 7 के प्रमाण पत्र में, शब्द एवं अंक "रुपये 60,000 (रुपये साठ हजार)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख)" प्रतिस्थापित किये जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

क्रमांक/475/एफ-2 (2)/48/सं. का./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 28th August 2008

NOTIFICATION

No./474/F-2 (2)/48/P. A./08.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members (Free Transit by Railway) Rules, 1996. These amendment shall be deemed to have come into force with effect from 09th May, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For the proviso of rule 3, the following shall be substituted, namely :—

   "Provided that the total expenditure on journeys performed by an ex-member by rail or air under section 5-A (2) in the said act shall not exceed the amount of Rs. 1,00,000.00 (Rs. One Lac) in financial year."

2. In certificate of Rule-7 for the words and figure "Rs. 60,000 (Rs. Sixty Thousand)" the words and figure "Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Secretar

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.